प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तेईस '

[20/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 5804]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक–5804

क्र.	संस्था का नाम	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्यवाही
1.	मार्केटिंग सोसायटी आरोन द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान वार्ड क्र. 7,8,9	दुकान बंद पाए जाने बाबत्	उचित मूल्य दुकान के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आरोन के आदेश क्र./री–1/2016 दिनांक 28.05.2016 के द्वारा दुकान अन्य संस्था महिला उपभोक्ता भंडार वार्ड क्र.3,4 में अटैच की गई थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में प्रचलित प्रकरण क्रं. /डब्ल्यू.पी./3713/2016 में आदेश दिनांक 09. 06.2016 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।
2.	सेवा सहकारी संस्था खिरियादांगी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान खिरियादांगी	खाद्यान्न वितरण नही किए जाने बाबत्	जॉच में अनियमितताऐं पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान खिरियादांगी के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर दुकान को निलंबित किया जाकर अन्य संस्था सेवा सहकारी संस्था पनवाड़ीहाट से संलग्न की गई। प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन में प्रचलित है।
3.	सेवा सहकारी संस्था रामपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान रामपुर	खाद्यान्न वितरण नही किए जाने बाबत्	शासकीय उचित मूल्य दुकान रामपुर के विक्रेता श्री दीपक उर्फ मौनू जैन के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है,तथा सेवा सहकारी संस्था रामपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान रामपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।
4.	प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी संस्था आरोन द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान डगराई (मुंहासा)	खाद्यान्न वितरण नही किए जाने बाबत्	जॉच में अनियमितताऐं पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान डगराई (मुंहासा) के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/754 दिनांक 06.10.2016 के द्वारा विक्रेता श्री राजेन्द्र यादव को पद से पृथक कर अन्य विक्रेता की नियुक्ति हेतु समिति प्रबंधक, प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति, आरोन को आदेशित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रं./डब्ल्यू.पी. /7531/2016 में पारित आदेश दिनांक 08.11. 2016 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया ।

5.	मार्केटिंग सोसायटी आरोन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान रामपुर	हितग्राहियों की पात्रता पर्ची पर अन्य अपात्र व्यक्तियों को राशन वितरण बाबत्।	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित कर दोषी पाए जाने पर 04 लोगो के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु इस कार्या.के पत्र क्रं./792 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आरोन को आदेशित किया गया ।
6.	सेवा सहकारी संस्था आरोन द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान शहबाजपुर	दुकान बंद होंने के संबंध में शिकायत	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी,आरोन में प्रकरण दर्ज कर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

जिला आपूर्ति अधिकारी,
जिला–गुना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय